

आदेश
की एवं
स्थिति
1

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश पर की
गई कार्यवाही

3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या-06/2020-21

राज्य सरकार -बनाम- मो0 इस्तीयाज आलम वगै0

-: संशोधित आदेश :-

दिनांक 05.10.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षीगण अपने दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र के साथ उपस्थित।

विपक्षी मो0 इस्तीयाज आलम, पे0-मो0 ताज मोहम्मद, सा0-छोटी कोदरजन्ना, थाना-साहेबगंज (मु0), जिला-साहेबगंज ट्रक संख्या JH18J-4091 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) शेख मुख्तार, पे0-शेख सियाकत, सा0-महादेवगंज, गंगा प्रसाद, मुस्लिम टोला, थाना-साहेबगंज (मु0), जिला-साहेबगंज ट्रक संख्या NL01Q-6986 का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii) मो0 नैयर इसलाम जानी, पे0-मो0 सिकन्दर अली, सा0-छोटी कोदरजन्ना, गंगा प्रसाद, थाना-साहेबगंज (मु0), जिला-साहेबगंज ट्रक संख्या JH18J-7519 का ऑनर बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

विपक्षी मो0 चाँद, पे0-मो0 फिरोज, सा0-पीरपैती बाजार, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर (बिहार) ट्रक संख्या UP67T-8019 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) मो0 मेहरबान अली, पे0-मो0 सोफील खॉन, सा0-मोती झरना, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज ट्रक संख्या JH18J-7290 का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii) मो0 कैयुम अकरम, पे0-मो0 गुलाम रसूल, एवं मो0 शेख शमीम, पे0-शेख इदरीस, दोनों सा0-छोटी कोदरजन्ना, गंगा प्रसाद, थाना-साहेबगंज (मु0), जिला-साहेबगंज ट्रक संख्या UP67T-6615 का ऑनर बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

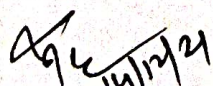
मुफसिल थाना कांड संख्या 110/2020 दिनांक 16.07.2020 में विपक्षीगण के जप्त ट्रक संख्या JH18J-4091 एवं ट्रक संख्या UP67T-8019 को लोड बालू सहित अस्थायी रूप से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर उक्त ट्रक को न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करावेंगे। प्रतिभूति बंध-पत्र दाता के जिम्मेनामा पर जप्त ट्रक को मुफसिल थाना कांड संख्या 110/2020 दिनांक 16.07.2020 को The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 का 11(V) के अन्तर्गत जप्त ट्रक को जप्ती से अस्थायी रूप से मुक्त किया जाता है। यदि न्यायालय के आदेश के पश्चात विपक्षी द्वारा ट्रक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कराया जाता है, तो ट्रक के लिए दिये गये बंध-पत्र प्रतिभूति ट्रक दाता को न्यायालय में आदेशानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, मुफसिल को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही उन्हे आदेश दिया जाता है कि वे उचित पहचान एवं ऑनर बुक के आधार पर ट्रक संख्या JH18J-4091 एवं ट्रक संख्या UP67T-8019 को लोड बालू सहित उचित प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर कराकर एवं पहचान पर हस्तगत करावेंगे। साथ ही हस्तगत संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसकी प्रति पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

अभिलेख दिनांक

को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।


उपायुक्त,
साहेबगंज।

14/12/21